**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.**

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
**राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 27/2021**
**GCMS NO. : 2021/48**

| –:: वादी ::– | बनाम | –:: प्रतिवादीगण ::– |
|---|---|---|
| 1. महाराम पुत्र चुनाराम<br>जाति बावरी निवासी कावलियाखुर्द<br>तहसील जैतारण जिला पाली। | | 1. सुन्दरी पत्नी घीसाराम<br>2. गणपतराम पुत्र घीसाराम<br>3. नौरतराम पुत्र घीसाराम<br>4. रामपाल पुत्र चुनाराम<br>जाति बावरी निवासी कावलियाखुर्द<br>तहसील जैतारण जिला पाली।<br>5. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण/<br>तहसीलदार जैतारण भूमिधारी<br>राजस्थान सरकार। |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजूः 23/06/2021**

**उपस्थितः–**

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, श्री समीर खांन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 29/08/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा चुनाराम के वारिसान है। सरहद मौजा कावलियाखूर्द, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू–अभिलेख लाम्बियां, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त भूमि में वादी 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/12, प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 का 1/3 हिस्से के खातेदार है। माफिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। उपर वर्णित कृषि भूमि का वर्तमान में रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन करते समय प्रत्येक खातेदारान का 1/7, 1/7 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो एक गलत इन्द्राज है। जबकि राजस्व रेकर्ड की पूर्व जमाबन्दीयों में वादी का [illegible] संख्या 4 का 1/3 हिस्सा तथा घीसाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज था। परन्तु [illegible] की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व वारिस चौ[illegible] का 1/4 हिस्सा बनता है परन्तु घीसाराम का वारिस चौथाराम [illegible] गणपतराम व [illegible] के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण राज.
सत्यमेव जयते

हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया इस कारण से वादपत्र में वर्णित भूमि में घीसाराम के वारिस सुन्दरी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/8, 1/8 हिस्सा बनता है। अतः इसी अनुसार वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा उक्त संशोधन बाबत् वादी ने प्रतिवादीगण के समक्ष दिनांक 16/06/2021 को मौखिक निवेदन करने पर उन्होनें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा तब वादी ने यह वादपत्र घोषणा बाबत् श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 4 को इस वादपत्र में बतौर वादी पक्षकार हेतु निवेदन करने पर उसने संतोषजनक जबाब नहीं देने पर उसे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारान के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। कानूनन बंटवाडा नहीं होने के कारण वादी अपने हक-हिस्से की भूमि को काबिल काश्त हेतु व खाद बीज डालने हेतु बैंक से ऋण लेने में व उसे अलग से किसान कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिए वादी ने कानूनी बंटवाडा हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 16/06/2021 को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार किया व वादीगण को उसके हक-हिस्से की भूमि से बेदखल करने व शामलाती खातेदारी व अविभाजित भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने की भी ऐलानिया धमकी देने पर वादी ने यह वादपत्र बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया है। बंटवाडे के वादपत्र में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 16/06/2021 को वादी ने प्रतिवादीगण को अपने हिस्से के संशोधन की घोषणा करवाने बाबत् तथा बंटवाडा करने बाबत् प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार होने तथा वादी को उसके हक-हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा शामलाती खातेदारी की भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम कांवलियाखुर्द पैदा हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब दावा बन्द किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वाद को स्वीकार किया एवं सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। प्रदर्श-2 का हिन्दी अनुवाद मय अनुवादक के शपथ-पत्र किया, सा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा कावलियाखूर्द, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू-अभिलेख लाम्बियां, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वज सम्वत् 2075-2078 (प्रदर्श-2), 2055-2058 (प्रदर्श-3), 2059-2062 (प्रदर्श-4), 2063-2066 (प्रदर्श-5), 2067-2070 (प्रदर्श-6), 2071-2074 (प्रदर्श-7) का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत इन्द्राज 1/7वां हिस्से के स्थान पर 1/... हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ... की वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2075-2078 के राजस्व रेकर्ड में वादी 1/3 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है। अतः राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अनुतोष वादी को प्राप्त हो चुका है अतः वादपत्र में वर्णित वादी के उक्त अनुतोष के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा कांवलियाखुर्द, पटवार हल्का कांवलियाकलां तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/371 दिनांक 01.09.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/1262 दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी की माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। भू-अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी अव्वल का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

**-:: आदेश::-**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा कांवलियाखुर्द, पटवार हल्का कांवलियाकलां, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व स[illegible] | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रामपाल पुत्र चुनाराम कौम बावरी सा0 [illegible] खातेदार | 714 | 1.2129 | बा.अ. | 10.00 |
| | | 582 | 0.1350 | बा.अ. | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 582/4 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/7 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 2. | नोरतराम, गणपतराम पुत्र घीसाराम 3/4 सुन्दरी पत्नी घीसाराम 1/4 कौम बावरी सा0 देह खातेदार | 710/1 | 0.7549 | बा.अ. | 10.02 |
| | | 714/3 | 0.4581 | बा.अ. | |
| | | 582/1 | 0.1350 | बा.अ. | |
| | | 582/5 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/8 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 3. | महाराम पुत्र चुनाराम कौम बावरी सा0 देह खातेदार | 714/1 | 1.2129 | बा.अ. | 10.00 |
| | | 582/2 | 0.1350 | बा.अ. | |
| | | 582/3 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/9 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 4. | रामपाल पुत्र चुनाराम 1/3 महाराम पुत्र चुनाराम 1/3 नोरतराम गणपतराम पुत्र घीसाराम 1/4 सुन्दरी पत्नी घीसाराम 1/12 कौम बावरी सा0देह खातेदार | 582/6 | 0.0912 | गै.मु. रास्ता | — |
| | | 710 | 0.0788 | गै.मु. रास्ता | |
| | | 714 | 0.0784 | गै.मु. रास्ता | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अनुतोष वादी को प्राप्त हो चुका है अतः वादपत्र में वर्णित वादी के उक्त अनुतोष के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/08/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

**बईजलास** :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

| -:: वादी ::- | बनाम | -:: प्रतिवादीगण ::- |
|---|---|---|
| 1. महाराम पुत्र चुनाराम जाति बावरी निवासी कावलियाखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली। | | 1. सुन्दरी पत्नी घीसाराम<br>2. गणपतराम पुत्र घीसाराम<br>3. नौरतराम पुत्र घीसाराम<br>4. रामपाल पुत्र चुनाराम जाति बावरी निवासी कावलियाखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।<br>5. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण/ तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार। |

मु0न0 :रा0वा0स0: 27/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .........-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खांन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा कांवलियाखुर्द, पटवार हल्का कांवलियाकलां, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 582 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 2.9623 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रामपाल पुत्र चुनाराम कौम बावरी सा0देह खातेदार | 714 | 1.2129 | बा.अ. | 10.00 |
| | | 582 | 0.1350 | बा.अ. | |
| | | 582/4 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/7 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 2. | नोरतराम, गणपतराम पुत्र घीसाराम 3/4 सुन्दरी पत्नी घीसाराम 1/4 कौम बावरी सा0 देह खातेदार | 710/1 | 0.7549 | बा.अ. | 10.02 |
| | | 714/3 | 0.4581 | बा.अ. | |
| | | 582/1 | 0.1350 | बा.अ. | |
| | | 582/5 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/8 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 3. | | 714/1 | 1.2129 | बा.अ. | 10.00 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | महाराम पुत्र चुनाराम कौम बावरी सा0 देह खातेदार | 582/2 | 0.1350 | बा.अ. | |
| | | 582/3 | 0.5615 | बा.अ. | |
| | | 582/9 | 0.7030 | बा.अ. | |
| 4. | रामपाल पुत्र चुनाराम 1/3 महाराम पुत्र चुनाराम 1/3 नोरताराम गणपतराम पुत्र घीसाराम 1/4 सुन्दरी पत्नी घीसाराम 1/12 कौम बावरी सा0देह खातेदार | 582/6 | 0.0912 | गै.मु. रास्ता | – |
| | | 710 | 0.0788 | गै.मु. रास्ता | |
| | | 714 | 0.0784 | गै.मु. रास्ता | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अनुतोष वादी को प्राप्त हो चुका है अतः वादपत्र में वर्णित वादी के उक्त अनुतोष के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/08/2023 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–ब्यावर(राज.)

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 3.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 2.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः– | 6.00 | मिजानः– | 1.00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested